

संक्रा. 13/न4-14/2000श्री0- // 5  
सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार

पुष्क

श्री मोहोउद्दीन साहिक  
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,  
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन बिहार केन्द्र-2,  
कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत बिहार, विकास मार्ग,  
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 15 फरवरी 2003

विषय:- जे0एम0भी0 रेजिडेन्सियल स्कूल, छितनावाँ, दानापुर, पटना को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणा-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय को ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 24-12-02 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाणा-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में संकीर्णता से तिस नए निर्णय के आलोक में जे0एम0भी0 रेजिडेन्सियल स्कूल, छितनावाँ, दानापुर, पटना को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा मान्यता/सम्बद्धता इस शर्त के साथ देने में कोई अनापत्ति नहीं है कि विद्यालय के प्रधान द्वारा नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अनुमान्य वेतनमान एवं भत्ता के अनुरूप वेतनमान एवं भत्ता का भुगतान उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

2- इसका सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

श्री मोहोउद्दीन साहिक

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

संक्रा. 115

पटना, दिनांक 15 फरवरी 2003

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यएं प्रेषित।

2- शैक्षणिक गुणावत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निम्न अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकती है:-

क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समाप्ति कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

ख) विद्यालय में वित्तीय अनिर्वाकता की जा रही हो अथवा जित्त मट के लिए राशि को व्यक्तथा है उतना दूसरे मट में व्यय किया जा रहा हो,

ग) विद्यालय शैली गतिविधि में तलम हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमों के विरुद्ध हो एवं शैली कार्रवाई की जा रही हो जिससे समाज के विभिन्न सोतायली के बीच कटुता पैदा हो ।

विशेष निदेशक/माध्यमिक शिक्षा

क्रमांक 115 पटना, दिनांक 15 फरवरी 2003

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना को सूचनाथ प्रेषित ।

विशेष निदेशक/माध्यमिक शिक्षा

क्रमांक 115 पटना, दिनांक 15 फरवरी 2003

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, विहार को सूचनाथ प्रेषित ।

**ATTESTED**

कृपातः

J.M.V. Residential School

Chairman

PRINCIPAL  
J.M.V. RESIDENTIAL SCHOOL  
CHHITNAMADANAPUR  
PATNA-801502

विशेष निदेशक/माध्यमिक शिक्षा  
विहार, पटना